न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्या:–09/2024 पीठासीन अधिकारी:–ओम प्रकाश सहारण (RAS)

1– वाबूलाल
2– सुवालाल पुत्रान स्व० श्री किशन
समस्त जाति जाट निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान

–अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10–07–2020 नोट संख्या 27 से दिनांक 10–07–2020 खसरा नम्बर 930/46 वाकै मौजा पावटा सभी कास्तकार पर अब्दुल रहमान रेफेन्स नोट लगा हुआ है तथा नोट संख्या 65 से दिनांक 14–06–2022 खसरा नम्बर 929, 930 अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावीत का नोट लगा हुआ है तहसीलदार महोदय पावटा

निर्णय

दिनांक 26/12/25

1. यह अपील वकील अपीलान्ट द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 929/0.46, 930/0.98 वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ स्थित है उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 886 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 887 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली बहरोड से वने है।
2. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 886 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 887 रकबा 3 बीघा 7 बारानी 2 लगानी 5.80 पैसे बिस्वा वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली बहरोड के पूर्व में नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र गोमा कीर प्रागपुरा बहैसियत रिकोर्ड खातेदार काश्तकार काबिज थे । जमावन्दी सं0–2008 से 2027 तक में नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र गोमा कीर प्रागपुरा अंकित है तथा किस्म बारानी दोयम अंकित है। जमाबन्दी सं0 2008 से 2027 तक की अपील के साथ संलग्न है ।
3. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 886 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 887 रकबा 3 बीघा 7 बारानी 2 लगानी 5.80 पैसे बिस्वा वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली बहरोड को अपीलान्टस ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र गोमा कीर प्रागपुरा से दिनांक 3–6–1981 को खरीद की थी। खरीद के समय से उक्त आराजी पर अपीलान्टस बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

4. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 929/0.46, 930/0.98 वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली वहरोड़ स्थित है उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 886 रकवा 2 बीघा 2 बिस्वा, 887 रकवा 3 बीघा 7 बिस्वा वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली वहरोड से बने है। जमावन्दी सं0 2036 से 2056 के राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 929/0.46, 930/0.98 वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली वहरोड़ में अपीलान्टस का नाम दर्ज है । लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने किस्म बारानी दोयम की बदलकर किस्म नदी नाली अंकित कर दी । जमाबन्दी सं0–2036 से 2056 अपील के साथ संलग्न है।
5. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 929/0.46, 930/0.98 वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली वहरोड के हाल राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से में अपीलान्ट संख्या 1 व 1/2 हिस्से में अपीलान्ट संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन हाल जमावन्दी में नोट संख्या 27 से दिनांक 10–07–2020 खसरा नम्बर 930/46 वाकै मौजा पावटा सभी कास्तकार पर अब्दुल रहमान रेफेन्स नोट लगा दिया तथा नोट संख्या 65 से दिनांक 14–06–2022 खसरा नम्बर 929, 930 अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावीत का नोट लगा दिया है। जो कतई गलत है नोट लगाया है। जमावन्दी 2008 से 2027 तक में नाथ्या उर्फ नाथू पुत्र गोमा कीर प्रागपुरा अंकित है तथा किस्म बारानी दोयम अंकित है उसके बाद जमावन्दी सं0–2036 से 2056 के राजस्व रिकार्ड में किस्म नदी नाला अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही से अंकित दर्ज हुआ है।
6. यह है कि तहसीलदार महोदय को जमावन्दी में नोट संख्या 27 से दिनांक 10–07–2020 खसरा नम्बर 930/46 वाकै मौजा पावटा सभी कास्तकार पर अब्दुल रहमान रेफेन्स नोट लगा दिया तथा नोट संख्या 65से दिनांक 14–06–2022 खसरा नम्बर 929, 930 अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावीत का नोट लगा दिया है । जो कतई गलत है नोट लगाया है उसे उक्त नोट लगाने का कोई अधिकार ही नहीं था लेकिन तहसीलदार ने अपने अधिकार से बाहर जाकर नोट लगा दिया तथा तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियो ने नोट लगाने समय पूर्व के दस्तावेज व जमाबन्दी का अध्ययन नहीं किया है। अतः उक्त नोट को हटाया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है ।
7. यह है कि अपीलान्ट ने उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की गत सप्ताह नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को अब्दुल रहमान रेफेन्स का नोट की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी होते ही बिना देरी किये मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है।
8. यह है कि अपील में मान्य न्यायालय को श्रवर्णाधीकार प्राप्त है ।
9. यह है कि अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है।
10. यह है कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेगे ।

अतः अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आराजी खसरा नम्बर 929/0.46, 930/0.98 वाकै मौजा पावटा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली वहरोड के राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी में नोट संख्या 27 से दिनांक 10–07–2020 खसरा नम्बर 930/46 वाकै मौजा पावटा सभी कास्तकार पर अब्दुल रहमान रेफेन्स नोट लगा दिया तथा नोट संख्या 65 सेदिनांक 14–06–2022

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-वहरोड़)

खसरा नम्बर 929, 930 अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावीत का नोट लगा दिया है। उसे हटाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

11. अपील जरिये वकील अपील पेश होने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को तल्बी जरिये डाक से करवाई गई। तहसीलदार पावटा को अपील के जवाब पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार पावटा द्वारा प्रकरण में जबाब पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि साविक खसरा नम्बर 886 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 3 बीघा 2 बिस्वा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 929 रकबा 0.40 हैक्ट0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 886, 887 से बना है एंव हाल आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा 0.98 हैक्ट0 साविक खसरा नम्बर 886, 887, 1912 से बना है। मूताबिक मिसल बंदोबस्त 2008–27 मौजा पावटा के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1912 की किस्म गै.मु. नदी दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 930 अब्दुल रहमान से प्रभावित है। तथा आराजी खसरा नम्बर 929 साविक राजस्व रिकॉर्ड मिसल वंदोवस्त 2008–27 के अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

12. वकील अपीलान्ट द्वारा जवाब उल जवाब (तहसीलदार के जवाब का जवाब) पेश किया गया जो कि इस प्रकार से है कि जिम्मन नम्बर एक में तहसीलदार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि सम्वत् 2008–27 मौजा पावटा के अनुसार खसरा नम्बर 1912 की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 929 साबिक खसरा नम्बर 886, 887 से बना है जो राजस्व रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त 2008–2027 के अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। जिम्मन संख्या 2 में तहसीलदार ने अपने जवाब के जिम्मन नम्बर चार में मिसल बदोबस्त 2008–2027 के रिकॉर्ड को अनदेखा किया है। जिम्मन नम्बर तीन अनुसार सम्वत् 2008–2027 मिसल वदोबस्त के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 886, 887 एक स्वतन्त्र खसरा नम्बर था। जिम्मन सख्या चार अनुसार 2008–2027 मिसल वदोस्त के अनुसार खसरा नम्बर 1912 भी एक स्वतन्त्र खसरा था गैर मुमकिन नदी दर्ज था। जिम्मन नम्बर पॉच अनुसार 2008–2027 मिसल बदोबस्त के उपरान्त खसरा नम्बर 930 बना है जो साबिक खसरा नम्बर 886, 887 ओर 1912 से बना है हाल खसरा नम्बर 930 में साविक खसरा नम्बर 1912 जुड़ने से ही 886, 887 साविक खसरा नम्बर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है जो एक चूक है व लापरवाही के कारण है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तु जवाब उल जबाब का जवाब तहसीलदार से चाहे जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाव के जिम्मन नम्बर एक को स्वीकार किया है जिसके अनुसार सम्वत् 2008–27 मौजा पावटा के अनुसार खसरा नम्बर 1912 की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। जवकि आराजी खसरा नम्बर 929 साबिक खसरा नम्बर 886, 887 से वना है जो राजस्व रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त 2008–2027 के अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। जिम्मन नम्बर दो अनुसार पूर्व में पेश जवाब के जिम्मन न0 4 में वर्णित तथ्य भी राजस्व रिकॉर्ड के तथ्य है मूताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल आराजी खसरा नम्बर 930 रकवा 0.98 हैक्टर साविक खसरा नम्बर 886 मी0, 887 मी. एवं 1912 मी0 से बना है। मूताविक मिसल बंदोबस्त 2008–27 मोजा पावटा के अनुसार साविक खसरा नम्बर 1912 की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 930 रकबा 0.98 अब्दुल रहमान से प्रभावित है। जिम्मन नम्बर तीन

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अनुसार मिसल वंदोवस्त 2008—2027 के अनुसार साविक खसरा नम्वर 886, 887 स्वंतत्र रूप से खाता संख्या 29 में नाथ्या पुत्र गोमा कोम कीर प्रागपुरा खातेदारी के नाम दर्ज है। जिम्मन नम्वर चार में मूताविक मिसल वदोवस्त 2008—2027 के अनुसार साविक खसरा नम्वर 1912 खाता संख्या 198 गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है। मूताविक मिलान क्षेत्रफल के हाल खसरा नम्वर 930 अब्दुल रहमान से प्रभावित है।

13. वकील अपीलान्ट की वहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत जवावों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्वर 930 साविक खसरा नम्वर 886,887 ग्राम पावटा के अतिरिक्त साविक खसरा नम्वर 1912 से मिल कर वना है परन्तु मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट नही है कि हाल खसरा नम्वर 930 में साविक खसरा नम्वर 1912 गैर मुमकिन नदी का कितना रकवा शामिल किया गया। ऐसी सूरत में इस तथ्य को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि हाल खसरा नम्वर 887 में कितना रकवा खसरा नम्वर 1912 में शामिल हुआ है। तहसीलदार पावटा द्वारा प्राप्त जवाव उल जवाव में मिसल वंदोवस्त 2008—2027 के अनुसार साविक खसरा नम्वर 886 , 887 स्वंत्रत रूप से खाता संख्या 29 में नाथ्या पुत्र गोमा कोम कीर प्रागपुरा खातेदार के दर्ज होना अंकित किया है तथा साविक खसरा नम्वर 1912 खाता संख्या 198 मे गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज होना अंकित किया है। इस प्रकार खसरा नम्वर 930 में साविक खसरा नम्वर 1912 गैर मुमकिन नदी का कितना रकवा शामिल किया गया यह स्पष्ट नही है तथा पूर्व की जमावन्दी के अवलोकन से साविक खसरा नम्वर 886 एंव 887 स्वत्रंत खाता सख्या दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसे में अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार पावटा को निर्देश दिये जाते है कि वर्तमान जमावंदी में रैफरेन्स नोट को हटाया जावे तथा साविक जमावन्दी, मिलान क्षेत्रफल व नक्शों का पूर्ण अवलोकन करने के उपरान्त यदि खसरा नम्वर 886 एवं 887 में खसरा नम्वर 1912 का रकवा शामिल होना पाया जाता है उस हेतु विधि अनुसार रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपुतली-बहरोड़